फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-III श्रीमती शमीना बनाम नजीर खां वगैरा. बेगम

केस संख्या दावा – 20/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आपत्तिकर्ता/ वकील वादी से प्राप्त कुर्देदात स्वीकार कर डिक्री हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी नोटिस तामील होने पर आपत्ति की व नहीं बहस। वकील वादी की बहस सुनी जाकर कुर्देदात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः आपत्ति के अभाव में प्राप्त कुर्देदात स्वीकार कर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले इजलास सुनाया गया। [signature]	

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 20 / 2013

1. श्रीमती समीना बेगम पत्नी श्री सलीम अहमद उम्र 28 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम खौ नागोरियान छापर वाली ढाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

–वादीया

बनाम

1. श्री नजीर खां पुत्र श्री अहमद खां, उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी ग्राम खौ नागोरियान छापर वाली ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती मुन्नी बानो पत्नी श्री मोहम्मद जफर उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी सर्वे नंबर आई बी 263, जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नंबर 1 जयपुर।
3. श्रीमती शबना बेगम पत्नी श्री शकील खान, उम्र व्यस्क, निवासी ढाणी बीड की ग्राम खौनागोरियान हाल निवासी सदभावना नगर लूनियावास स्टेण्ड के पास जयपुर।
4. श्री शकील खान पुत्र श्री इस्लाम खान उम्र व्यस्क, निवासी ढाणी बील की ग्राम खौनागोरियान हाल निवासी सदभावना नगर, लूनियावास स्टेण्ड के पास जयपुर
5. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
6. श्रीमती जमीला पत्नी मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खौ नागोरियान छापर वाली ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक: 13.10.2025**

वादीया की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीया व प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम खौनागोरियान पटवार हल्का खौनागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 934 रकबा 0.16 हैक्टेयर जिसके नये खाता नंबर 431 व पुराना खाता ंख्या 545 है। जिसमें वादीया का हिस्सा 1033 / 1600 है और प्रतिवादी नंबर 1 का 1 / 4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीया नंबर 2 का हिस्सा 167 / 1600 है। वादीया व प्रतिवादीगण 1

Scanned with OKEN Scanner

व 3 और 4 एक ही ग्राम के निवासी है तथा प्रतिवादी नंबर 3 व 4 ने कुछ असामाजिक तत्वों का गिरोह बना रख है जो प्रोपर्टी डिलिंग का काम भी करता है इसलिए शांति प्रिय लोगों की जमीने नाजायज तरीके से हडप कर लाभ अर्जि करता रहता है। वादीया उक्त आराजी पर काबिज है जिसका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नक्शे में उत्तर दिशा की ओर मुख्य आम रास्ते पर है। जिसमें वादीया ने पुख्ता निर्माण भी कर रखा है और मकान बनाकर रह रही है। जिसमें बिजली का कनेक्शन भी लगा रखा है इस प्रकार वादिया खसरा नंबर 934 पर उत्तरी सीमा से मुख्य आम रास्ते से आगे तक काबिज है और उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रही है तथा अन्य हिस्सेदार अपने हिस्सों पर दूसरी जगह दक्षिण की ओर अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है। उसी अनुसार खेती करते आ रहे है तथा विवादित भूमि का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है सामलाती खाता ही रिकॉर्ड में चला आ रहा है। प्रतिवादी नंबर 2 व 3 व 4 प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होने एक गिरोह बना रखा है जो आये दिन लडाई झगडा करते रहते है और वादिया के हिस्से की भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित करना चाहते और वादीया को बेदखल करके व निर्माण करके अतिक्रमण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी नंबर 2 भी प्रतिवादी नंबर 3 व 4 का सहयोग करती है। दिनांक 21.02.2013 को वादीया के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नंबर 2, 3 व 4 ने नाजायज अतिक्रमण कर आवासीय गतिविधियां शुरू करने का प्रयास किया तथा मौके पर वादिया के पत्थर व ईटे पडी हुई थी उनसे ही निर्माण करके कब्जा करने की धमकी दी तब वादीया ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने गाली गलौच की और धक्का मुक्की व लडाई, झगडा करके वादीया के परिवारवालों के साथ मारपीट करने की कोशिश की और जान से मारने का प्रयास किया और धमकी दी कि हम तुम्हें विवादित भूमि से बेदखल करके ही दम लेगें और तुम्हारा इस जमीन पर कोई लेना देना नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण नाजायज तरीके से वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है और आम रास्ते पर स्थित अच्छी भूमि पर अपना कब्जा कर आधिपत्य जमाना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमि सम्पत्ति में प्रतिवादीगण विधिवत बंटवारा होने से पूर्व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे अतिक्रमण नही करे तथा वादीया को उसके हिस्से में उपयोग उपभोग करने में बाधा नही डाले, न ही बेदखल करें, न बेचान करें। प्रतिवादीगण ऐसा ना तो स्वयं करें, न ही ऐसा अपने एजेन्ट्स, सर्वेन्ट कारकुनान इत्यादि से करावें। विवादित आराजी का बटवारा किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग अलग हिस्से कायम कर हिस्से अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के अलग खाते खोले जावें व अलग से लगान तय किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित है कि आराजी खसरा नंबर 934 रकबा 0.16 हैक्टेयर जिसके नये खाता संख्या 431 व पुराने 545 जो ग्राम खो नागोरियान पटवार हल्का खो नागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। में वादिनी का न तो कोई विधिक कब्जा है ना ही कोई हक है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है जो सही अंकन नहीं किया है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 167/1600 बदनियति पूर्वक अंकन किया है। वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 934 के खातेदारान् खाजू खॉ, इस्माईल, नजीर खां, मुनीर खां पुत्रान् अहमद खां साकिन देह खातेदार काश्तकार हुए एवं नामान्तकरण संख्या 489 दिनांक 19.01.2004 के द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी मोहम्मद जफर खां हिस्सा 167/1600 की खातेदार काश्तकार हुई एवं सिराज खां, नवाब खां निजाम खां सलाम खां, मु0 हाफिजा का 499/4800 हिस्सा ही शेष है इस तथ्य का अंकन वादिनी ने जानबूझकर नहीं किया है। एवं बदनियति पूर्वक हिससे का अंकन किया है। वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने दुर्भी संधी के तहत केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 6 के राजस्व हिस्से को समाप्त करने की गरज से मैलाफाइड वाद बिना कब्जे, हक, व घोषणा के ही पेश किया है जो समेरिली निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादिनी का कतई कोई कब्जा नहीं है। एवं बिजली कनेक्शन भी नहीं है। वादिनी भू माफिया गिरोह की महिला है। जिसमें इसके पति व अपराधिक गिरोह के लोगो के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भी शामिल है। एवं वादिनी का एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है। एवं जब वादिनी का कब्जा ही नहीं है तो वादिनी का खेती करने का प्रश्न ही नहीं होता। मि

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रतिवादिया का अपने हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। दिनांक 21.02.2013 को कतई किसी भी प्रकार से नाजायत कब्जा करने का प्रयास मिन प्रतिवादिया ने नहीं किया है। जबकि वादिनी का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा विवादित आराजी पर सदैव नहीं रहा है। एंव बिना कब्जे की दादरसी के वादिनी का वाद कतई चलने योग्य न होकर समेरिली निरस्त किये जाने योग्य है। मिन प्रतिवादिया के पति रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार मुनीर खां द्वारा वादिया व उसके पति सलीम अहमद के विरूद्व एक सिविल वाद घोषणा, बैनामा शून्य घोषित करने व परिणामतः निषेधाज्ञा का दिनांक 15.07.2015 से ही प्रस्तुत कर रखा है। जो वाद वर्तमान में न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाशीध क्रम–10 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर में विचाराधीन है। जो वाद वादी की साक्ष्य में नियत है। एवं सिविल वाद के लम्बित रहते हुए वादिनी का वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है। अतः वादनी का वाद मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के योग्य है।

वाद में तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। विचाराधीन वाद में वकील उभयपक्ष ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 खसरा नंबर 934 वाकै ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीया व प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है इसलिए वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 934 वाकै ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5801 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स.	खाता	खसरा नंबर	रकबा	खातेदार का विवरण
01	483	934	0.1600 है0	01. नजीर खां पुत्र अहमद खॉ हि. 1/4 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार 02. मुन्नी बानो पत्नि मोहम्मद जफर हि. 167/1600 जाति मुसलमान नि0 जयपुर। 03. समीना बेगम पत्नि सलीम अहमद हि. 1033/1600 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार
योग		01	0.1600	

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट :–

खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा
समीना बेगम पत्नि सलीम अहमद हि0 सम्पूर्ण जाति मुसलमान सा0देह खातेदार	934 मि.	0.1033 है0.
योग	01	0.1033 है0.
01. नजीर खॉ पुत्र अहमद खॉ हि. 400/567 जाति मुसलमान 02. मुन्नी बानो पत्नि मोहम्मद जफर हि. 167/567 जाति मुसलमान	934 मि.	0.0567 है0.
योग	01	0.0567 है0.

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अनापत्ति कर कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी जाकर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः आपत्ति के अभाव में तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

शमीना बेगम बनाम नजीर खां
20/2013
निर्णय दिनांक : 13.10.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

श्रीमती समीना बेगम बनाम नजीर व अन्य

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नम्बर – दावा/20/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निज ......—...... मुबलिग ......—...... बाबत् ......—...... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......—...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......—...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.10.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....(sd.)........

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

(sd.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय